FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

अर्जूनलाल वगै0 बनाम् भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

स्म मुकदमा:–विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर:-15 / 2018

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
018	प्रार्थीगण वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 19.06.2018 को पेश हो।	
2-6-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष–2018 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के क्रमांक प.12 (15) ... की पालना एवं श्रीमान जिला ... निर्देशों की पालना में ... 19-6-18 से तलब होकर आज पेश हुई। ... पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जाकर ... अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र —— महरोली —— में दिनांक 19-6-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो।	
19.06.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– महरोली के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में वकील वादीगण ने उपस्थित होकर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 850 जिसके नवीन खसरा नम्बर 1796, 1799 अवस्थित तन् ग्राम महरोली में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी वरवक्त प्रथम सैटलमेन्ट से दूला, चन्द्रा, नून्दा पिता बिडदू के नाम से दर्ज होकर सम्वत् 2024 से 2027, 2028 से 2031 यथावत दर्ज रही है तथा सम्वत् 2032 से 2035 की जमाबन्दी में मंगला पुत्र दूला के नाम	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

अर्जुनलाल वगै0 बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट
मुकदमा नं0 15/2018

खातेदारी सही रूप से दर्ज रही है। उक्त भूमि की खातेदारी वरवक्त द्वितीय सैटलमेन्ट मंगलाराम पुत्र दूला के नाम दर्ज पर्चा खतौनी में मंगलाराम पिता व पति प्रार्थीगण के साथ बंशी का नाम गलत रूप से बिना किसी हक अधिकार व बिना किसी नामान्तकरण के द्वितीय सैटलमेन्ट के दौरान बंशी का नाम गलत दर्ज कर दिया गया जो सम्वत 2042 की जमाबन्दी में गलत रूप से दर्ज किया गया है जो हटाया जाना न्यायोचित है। उक्त गलत इन्द्राज का प्रार्थीगण को पूर्व में कोई जानकारी नही रहीं है। प्रार्थीगण द्वारा किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु वर्तमान जमाबन्दी की नकल लेने पर जानकारी हुई। जिसकी दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण ने किया है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2024–2027, 2028–2031, 2032–2035, 2042 –दो, 2074–2077 –तीन, मिलान क्षेत्रफल, पर्चा खतौनी, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.06.2018 इत्यादि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम महरोली की भूमि खसरा नम्बर पुराने 850 के नवीन खसरा नम्बर 1796, 1799 कुल किता 2 कुल रकबा 1.65 हैक्टर बने है। महरोली की जमाबन्दी सम्वत् 2024–2027 में दूला चन्द्रा नुदा पिता बिरदू जाट निवासी गुढ़ा दर्ज है। ग्राम महरोली सम्वत् 2032–35 में खातेदार दूला व चन्द्रा के फौत होने पर मंगला पुत्र दूला ,मालू व बंशी, श्योलाल पिता चन्द्रा, नून्दा पिता बिरदू दर्ज हुआ है। भू प्रबन्ध प्रकिया के पश्चात् सम्वत् 2042 की जमाबन्दी में मंगला, बंशी पिता दूला, मालू, श्योपाल पिता चन्द्रा,

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय मय्युलस्ताक्षर मय	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अर्जुनलाल वगैरा बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट
मुकदमा नं0 15/2018

नोन्दा पिता बिरदू जाति जाट दर्ज है। जिसमें बंशी पिता दूला गलत दर्ज हुआ है। बंशी पिता चन्द्रा सही है। जिसे दुरुस्त किये जाने की अभिशषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने दौराने शिविर राजस्व लोक अदालत में की है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1796, 1799 अवस्थित तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में दर्ज बंशी पुत्र दूला के स्थान पर खातेदारी मंगलाराम पुत्र दूलाराम पिता व पति प्रार्थीगण के नाम खातेदारी पूर्ववत प्रथम सैटलमेन्ट में दर्ज जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर अटल सेवा केन्द्र– महरोली के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–महरोली

Scanned by CamScanner